001

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

संख्या-506, राँची दिनांक 25.01.2024

विषयः- झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण के सम्बन्ध में।

झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 का आयोजन वर्ष 2020 की रिक्तियों के आलोक में किया गया था। The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 में कतिपय संशोधन हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन तथा उक्त Rules में अपेक्षित संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्ष 2021 एवं 2022 की रिक्तियों के विरूद्ध संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका। The Jharkhand Combined Civil Services Examination (2nd amendment) Rules, 2023 के गठन के पश्चात वर्ष 2021 एवं 2022 के रिक्तियों के विरूद्ध संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 का आयोजन वर्ष 2024 में किया जाना है। उक्त के आलोक में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के लिए अधिकतम एवं न्यनूतम उम्र सीमा में छूट देने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के संबंध में The Jharkhand Combined Civil Services Examination (2nd amendment) Rules, 2023 में प्रावधान निम्नवत है :-

"A candidate should have completed a minimum age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day (First day) of the month of August in the year of the publication of advertisement of the examination under these rules."

3. The Jharkhand Combined Civil Services Examination (2nd amendment) Rules, 2023 में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि दिनांक 01.08.2024 होगी।

4. पूर्व में संकल्प सं0 805 दिनांक 05.02.2021 द्वारा झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः 01.08.2016 एवं 01.03.2021 कट-ऑफ तिथि सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

5. उक्त क्रम मे झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु

:—ऑफ तिथि तय करने के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है –

"In view of the Covid situation it appears that the Government is desirous of fixing the cut of date of 01.8.2017 for the maximum age and 01.8.2024 for minimum age requirement.

The upper age limit therefore can be relaxed as a one time measure by suitability wording the cabinet note. In the past also by the cabinet note age was relaxed in 2021."

6. अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः दिनांक 01.08.2017 एवं दिनांक 01.08.2024 कट—ऑफ तिथि रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

7. चूँकि The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 4 (i) में यह प्रावधानित है कि आयोग प्रत्येक वर्ष इस नियमावली के तहत संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। अतः सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का उपरोक्त कट—ऑफ तिथि के छूट का प्रावधान मात्र आगामी झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के लिए मान्य होगा।

8. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या—11 / लो0से0आ0—01—17 / 2021 का0 449 दिनांक 24.01.2024 के द्वारा मंत्रिपरिषद की दिनांक 24.01.2024 की बैठक में मद संख्या 20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतियाँ झारखण्ड लोक सेवा आयोग /सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को भेजी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25/01/24

(प्रवीण कुमार टोप्पो)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—11 / लो०से०आ०—01—17 / 2021 का० 506 / राँची, दिनांक— 25.01.2024

प्रतिलिपि— नोडल पदाधिकारी (ई—गजट), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने के लिए सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/24

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11 / लो०से०आ० 01–17 / 2021 का० 506 / राँची, दिनांक– 25.01.2024

प्रतिलिपि– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सचिव झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/24

सरकार के सचिव।